डाक पार्सल वाहन में अवैध शराब ले जाते तस्कर गिरफ्तार

330 पेटियां अवैध शराब सहित पिकअप वाहन जब्त

अजमेर, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर शहर सहित जिले भर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व तस्करों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को जवाजा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए डाक पार्सल में अवैध शराब परिवहन करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन से 330 अवैध शराब की पेटियां बरामद कर वाहन जब्त कर किया है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस तस्कर से पूछताछ में जुटी है, अवैध शराब किसे और कहां सप्लाई करनी थी।

जवाजा थाने के उपनिरीक्षक मानवेन्द्रसिंह ने बताया कि एसपी चूनाराम जाट के दिशा निर्देशों पर अजमेर शहर सहित जिलेभर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम एवं तस्करों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एएसपी ग्रामीण वैभव शर्मा के मार्गदर्शन व वृत्त अधिकारी ब्यावर मनीष चौधरी के सुपरविजन में उनके नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को नाकाबंदी की गई। सिंह ने बताया कि थाने के कॉन्स्टेबल रिछपाल चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन के जरिए शराब परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद थाने की टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई और पीकअप वाहन को रूकवाकर चैकिंग की गई। पिकअप वाहन में रॉयल क्लासिक व्हिस्की शराब की 330 पेटियों सहित पिकअप वाहन को जब्त कर शराब तस्कर जयपुर मालवीय नगर निवासी सुरेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र प्रभु सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है।

जवाजा पुलिस ने अवैध शराब सहित तस्करों को दबोचा।

■ **अवैध शराब की कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई**

पकड़ी गई अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम में जवाजा थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी मानवेन्द्रसिंह, कानि. रिछपाल चौधरी, मनीष चौधरी, सुरेंद्र सिंह, अनिल कुमार, नरेश शामिल रहे।

वृद्ध महिला की गला दबाने के बाद सिर में चोट मारकर हत्या

मृतका के पैरों में चांदी के कड़े, गले में सोने के रामनामी, मांदलिया सुरक्षित मिले

भीलवाड़ा, (निसं)। ज़िले के फुलियाकला थाना क्षेत्र के सरदारपुरा गांव में एक 68 साल की वृद्ध महिला की गला दबाने के बाद सिर में चोट मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फेल गई।

पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि सरदारपुरा गांव की नंदू कीर (68) पत्नी स्वर्गीय गीला कीर हमेशा की तरह सोमवार सुबह दस-ग्यारह बजे के बीच घर से फसल की रखवाली के लिए खेत पर गई थी। दिनभर खेत पर काम करने के बाद नंदू शाम 5 से 5.30 बजे के बीच खेत से घर के लिए रवाना हुई लेकिन वह रास्ते में लापता हो गई। नंदू के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने गांव वालों के साथ मिलकर तलाश शुरु की। रात में उसका कहीं पता नहीं चला। मंगलवार सुबह परिजन व ग्रामीण नंदू की तलाश कर रहे थे, तभी गांव से करीब दो किलोमीटर दूर नाहर सागर की नहर से सौ से डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर लोगों को खून के धब्बे दिखाई दिये। इन धब्बों के साथ-साथ ये लोग नहर तक पहुंचे, जहां उन्हें लापता नंदू की लाश नहर में पडी मिली। खून बह रहा था। वहीं मौके पर शव को घसीटने के निशान भी थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद डीएसपी शाहपुरा, थाना प्रभारी दलपत सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलवा लिया गया।

वृद्धा का शव मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि नंदू के गले में लुगडी का फंदा मिला और सिर में चोट के निशान थे। खून बिखरा पडा मिला। प्रथम दृष्टया अज्ञात बदमाशों ने नंदू की गला दबाने के बाद सिर में चोट मारकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को घसीटते हुये नहर में फैंक दिया। थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि नंदू के पैरों में चांदी के कडे, गले में सोने के रामनामी मांदलिया सुरक्षित मिले हैं। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नंदू कि हत्या किसने और किन कारणों से की। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिद्धू, एसएसपी चंचल मिश्रा भी मौक़े पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया की जल्द आरोपियों को गिरफ़्तार किया जायेगा।

डकैती की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

मासलपुर/करौली, (निसं)। मासलपुर में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मासलपुर कस्बे में रविवार की रात्रि को दो मोहल्लों के तीन मकानों में हथियारों की नोक पर मारपीट कर डकैती को अंजाम देने वाले 8 बदमाशों में से पुलिस ने महज 5 घंटे में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं घटना को अंजाम देने में उपयोग में ली गई बोलेरो गाड़ी को भी जप्त किया है।

मासलपुर थाना अधिकारी परसोत्तम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर 30 निवासी नगर चलीपुरा नगर थाना डांग वसई जिला धौलपुर, बनवारी पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर 50 निवासी मठ महुआ खेड़ा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर एवं गिर्राज पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर 38 निवासी बरेला पुरा तन मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर है जिनके द्वारा 19 फरवरी की अर्ध रात्रि को कस्बे में पीड़ित कैलाश प्रजापत, दिनेश कहार, बोना कहार, के घर में घुसकर हथियारों के बल पर मारपीट कर नगदी व जेवरात की लूटपाट की गई घटना के तुरंत बाद पुलिस ने पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह टोंगस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद जैफ, उप अधीक्षक दीपक गर्ग के निर्देशन में गठित टीम ने अपराधियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी।

■ **घटना को अंजाम देने में उपयोग में ली गई बोलेरो गाड़ी जब्त**

इस दौरान आरोपियों की मरदई मोड़ के पास उपयोग में ली गई बोलोरो पंचर हो गई जिस पर आरोपी बिरहटा बिरहटी जंगल की ओर भाग गए। पुलिस ने पीछा कर तीन आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना कबूला गया है।

पांच हजार रुपये का ईनामी बदमाश गिरफ्तार

करौली, (निसं)। मासलपुर थाना पुलिस ने बालघाट थाने 5 हजार रुपए के इनामी एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट जैसी धाराओं में मामले दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह टोगस ने बताया कि मासलपुर थानाधिकारी पुरुषोत्तम सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को पुलिस टीम ने बालघाट थाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपी अमृत उर्फ घमदू पुत्र श्रीमन गुर्जर 30 निवासी लपावली थाना बालघाट को मरदई के जंगल से दस्तयाब कर अनुसंधान अधिकारी और करौली डीएसपी दीपक गर्ग को सुपुर्द किया है। पुलिस पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर करौली एसपी द्वारा 5 हजार रुपए का ईनाम घोषित है। आरोपी के खिलाफ बालघाट थाने में एक्साईज एक्ट, आर्म्स एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। कार्यवाही में थाने के हैड कांस्टेबल गजराज सिंह थाना मासलपुर की अहम भूमिका रही है। इस दौरान हैड कांस्टेबल परमजीत सिंह, कांस्टेबल राजेश,समय सिंह, हरी सिंह एवं साइबर शाखा कांस्टेबल पुष्पेन्द्र कुमार शामिल रहे।

मेले में 5 महिलाओं की चैन कटी

करौली, (निस)। करौली के फकीरा की बगीची में चल रहे शिव महापुराण कथा में उमड़ी महिलाओं की भीड़ में महिला जेब कतरों ने 5 महिलाओं की गर्दन पर हाथ साफ करते हुए सोने के पेंडल, सोने के बीज एवं सोने की चैन को चोरी कर ले गए। पता चलने पर महिलाओं ने लोगों को जानकारी दी जिसकी सूचना कोतवाली पर दी गई। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार संतरा देवी की सोने की पातरी जिसमें सोने के 8 बीजो की बनी माला को, रेनू गुप्ता के सोने के पेंडल की बनी माला को, वैजयंती देवी की सोने की चैन, गुड्डी देवी के सोने के पेंडल की बनी माला, रुचि देवी गुप्ता पत्नी कैलाश बिंदल की पेंडल की माला को महिला जेबकतरी चोट कर ले गई।

जितेन्द्र आंचलिया ने दिया वॉयस सैम्पल

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर में रिश्वत के एक मामले में पकड़े गए निलंबित आर.पी.एस. जितेन्द्र आंचलिया की मंगलवार को कोर्ट में पेशी हुई। आंचलिया का वॉयस सैम्पल लिया गया। न्यायालय ने आंचलिया द्वारा पेश जमानत याचिका भी ख़ारिज कर दी।

गौरतलब है कि बीते सोमवार को हुई पेशी में आंचलिया ने वॉयस सैम्पल देने से मना कर दिया था। ऐसे में मंगलवार को वापस उन्होंने वॉयस सैम्पल दिया। बता दें बीते सोमवार को आंचलिया सहित चार आरोपियों को भारी जाब्ते के साथ कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि एक एनआरआई पर दबाव डालने ओर जबरन लिखित समझौता करवाने के लिए आरोप में जयपुर एसीबी की टीम ने आंचलिया समेत चार आरोपियों को पकड़ा था। आंचलिया ने एनआरआई को धमकाकर अपने हाथों से लिखकर समझौता करवाया था। आरोप था कि आंचलिया के कहने पर ही पीड़ित पक्ष से दो दलालों और एक महिला ने एक करोड़ 83 लाख रुपए लिए थे।

सुखेर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रोशनलाल ने भी एफआर लगाने के लिए दो लाख रुपए मांगे थे। इस पर परिवादी एसीबी के पास पहुंच गया था। पूरे मामले की एसीबी ने सत्यापन के बाद जांच शुरू की थी।

कोर्ट ने पांच दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई

कनपटी पर पिस्तौल लगाकर 50 हजार रुपए व सामान लूटा था

श्रीगंगानगर, (निसं)। सवा चार वर्ष पूर्व एक शोरूम संचालक की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर 50 हजार रुपए व अन्य सामान से भरे बैग की डकैती करने के मामले में न्यायालय ने पांच दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने चार दोषियों पर 20-20 हजार रुपए और एक पर 21 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। ये निर्णय अपर जिला सेशन न्यायालय संख्या-2 ने सुनाया। लोक अभियोजक सुप्रिमा चितलांगिया के अनुसार इस संबंध में 21 सितंबर 2018 को कोतवाली थाने में दो बाइकों पर सवार छह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

सद्भावनानगर निवासी इंद्रसिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह रात करीब 9:30 बजे हनुमानगढ़ से लौटा। सुखाड़िया सर्किल उतरने के बाद उसने आरएसएस कार्यालय से अपना मोटरसाइकिल लिया। तब विनोबा बस्ती और धानमंडी से होते हुए जब वह जस्सासिंह मार्ग पर पहुंचा तो दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए छह व्यक्तियों ने उसे आवाज लगाकर रुकवा लिया। एक व्यक्ति ने उससे बैग छीनने का प्रयास किया तो उसने मना कर दिया। इसी दौरान मोटरसाइकिल से उतरा एक व्यक्ति उसके पास आया और कनपटी पर पिस्तौल लगाकर उसे बैग देने को कहा। उसने बैग दे दिया। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार चले गए। कनपटी पर पिस्तौल लगाने वाले व्यक्ति का चेहरा पतला और हल्की दाढ़ी मूंछें होना बताया गया था। बैग में 50 हजार रुपए, मोबाइल फोन, शोरूम की चाबियां, 5 जोड़ी पैंट शर्ट बताई गई थी।

■ **चार दोषियों पर 20-20 हजार रुपए और एक पर 21 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है**

पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सदर थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुरा निवासी छह व्यक्तियों बिटूसिंह पुत्र नायब सिंह, राजविंद्रसिंह उर्फ संधू पुत्र मेजरसिंह, गुरवीरसिंह उर्फ गोरी पुत्र गुरमेलसिंह, जश्नदीपसिंह उर्फ जश्न पुत्र बलजिंद्र सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपा उर्फ खोपा पुत्र परमजीत सिंह और गांव पांच केके बुटरां निवासी लखवीरसिंह को गिरफ्तार किया था। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपा उर्फ खोपा की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने दोषी बिटू सिंह, राजविंद्र उर्फ संधू, गुरवीरसिंह उर्फ गोरी, लखवीर सिंह, जश्नदीप सिंह उर्फ जश्न को आईपीसी की धारा 341 में 1-1 माह कारावास, धारा 395 में 10-10 वर्ष कठोर कारावास, 20-20 हजार रुपए जुर्माने, दोषी जश्नदीप सिंह उर्फ जश्न को आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 में एक वर्ष कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।

जेईई-मेनः आवेदन प्रक्रिया जारी

कोटा, (निसं)। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के अप्रेल सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक 60 हजार ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं, जो इस वर्ष पहली बार यह परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च रात 9 बजे तक है, जिन 8.66 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, उन सभी विद्यार्थियों को अप्रेल परीक्षा में शामिल होने के लिए पुनः आवेदन करना होगा। इसके लिए पुराने एप्लीकेशन नम्बर व पासवर्ड के आधार पर ही आवेदन करना होगा। नए और पुराने विद्यार्थियों के आवेदन की स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 लाख से अधिक हो सकती है। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए द्वारा अप्रेल आवेदन में पहली बार विद्यार्थियों के स्थानीय एवं स्थाई पते के लिए एड्रेस प्रुफ मांगा जा रहा है।

फांसी के फंदे पर झूलता मिला पुलिस कांस्टेबल का शव

धौलपुर, (निसं)। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके की जाटोली पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कॉन्स्टेबल कांता प्रसाद लोधा का खुद के ही घर में संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे पर झूलता शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। घटना से पुलिस महकमे में शोक छाया हुआ है । जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय कांता प्रसाद पुत्र फूल सिंह लोधा निवासी गिर्राज कॉलोनी धौलपुर सदर थाना इलाके की जाटोली पुलिस चौकी पर कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था। बीती रात कॉन्स्टेबल चौकी पर ड्यूटी कर घर आ गया था। परिजनों ने बताया खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने चला गया था। मंगलवार सुबह जब कमरे से निकलकर नहीं आया तो परिजनों ने आवाज लगाई। परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो कॉन्स्टेबल फांसी का शव फांसी फंदे पर झूल रहा था। कॉन्स्टेबल की लाश देख परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। घटना से परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है।

मृतक कांस्टेबल

■ **पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया**

थाना प्रभारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कॉन्स्टेबल की मौत पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या करने से हुई है या अन्य कोई कारण है इसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। प्रोपर्टी व्यवसायी को धमका करोड़ रूपये वसूली करने के मामले में हिस्ट्रीशिटर दिलीपनाथ को नाई थाना पुलिस ने उच्च सुरक्षा जेल अजमेर से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। आरोपी दिलीपनाथ राजेन्द्र परमार हत्याकाण्ड का मुख्या आरोपी भी है।

प्रकरण के अनुसार पीड़ित सीसारमा निवासी कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल तेली ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि मैं प्रोपर्टी खरीदने एवं बेचने का काम करता हूं तथा मेरे गांव के दिलिपनाथ पुत्र नारायणनाथ और हेमलता कांकरिया भी प्रोपर्टी का काम करते है। दोनों आरोपी फिरोती की रकम वसूलने के लिए दबाव डालते है व मेरे मित्र नाथूसिंह निवासी नाई तथा भंवर गायरी निवासी कालारोही को अपहरण कर सेलिब्रेशन मॉल के पीछे ले जाकर मारपीट की है। हेमलता कांकरिया उनका सेटलमेंट कराती है।

आरोपी मुझसे व मित्रों से दो करोड़ इक्कीस लाख रूपये की फिरोती वसूल ली है। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर थानाधिकारी श्यामसिंह रत्नू ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दिलीपनाथ को उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर से प्रोडक्शन वारंट जरिये गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमाण्ड पर लिया है। जिससे पूछताछ की जा रही है। दिलीपनाथ थाना नाई का हिस्ट्रीशीटर होकर कुख्यात अपराधी है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाखेरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया

स्पीकर बिरला ने माता-पिता का आव्हान किया कि वे अपने बच्चों को खेल मैदान जरूर भेजें

बूंदी, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को लाखेरी को खेल क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी। उन्होंने केशवरायपाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल के साथ 4.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह से बिरला ने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में वे सभी खेल सुविधाएं देना चाहते हैं, जिससे यहां का युवा भी विदेश में जाकर तिरंगा लहराए।

लाखेरी के खेल स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में स्पीकर बिरला ने पहले विधि-विधान से पूजा अर्चना कर खेलो इंडिया के तहत बनने वाले इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इसके बाद वहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि लाखेरी का युवा भी देश का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन उसे कभी वह संसाधन नहीं मिले जो उसे आगे बढ़ने में मदद करते। आज उनके चेहरों पर जो उत्साह और उमंग है, उसे देखकर विश्वास हो रहा है कि यहां का युवा हाड़ौती और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में यहां इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें खिलाड़ी सभी मौसम में अभ्यास कर सकेंगे। गर्मी, सर्दी, बरसात उनको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में बाधा नहीं बनेंगे। खेल स्टेडियम में विस्तार की अपार संभावनाए हैं, यहां दूसरे चरण के लिए एक विस्तृत और व्यापक योजना बनाई जाएगी। हम इसे एक ऐसे स्थान के रूप में विकसित करेंगे जहां युवा ही नहीं हर उम्र के लोग आकर लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम को विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने भी सम्बोधित किया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केशवरायपाटन विधायक चन्द्रकांता मेघवाल ने स्पोर्ट्स कंपलेक्स निर्माण का भूमि पूजन किया।

स्पीकर बिरला ने माता-पिता का आव्हान किया कि वे अपने बच्चों को खेल मैदान जरूर भेजें। खेलने से वे अनुशासित और सामर्थ्यवान तो बनते ही हैं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र और समाज के प्रति सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की भावना भी उनमें जागृत होती है। उनमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने का कौशल उत्पन्न होता है, जो उन्हें भविष्य का बेहतर नागरिक बनाता है।

स्पीकर बिरला ने कहा कि लाखेरी में आजादी से पहले ही सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हो गई थी। लेकिन यहां का उतना विकास नहीं हुआ जितना की अपेक्षित था। यह संभावनाओं से भरा क्षेत्र हैं जिसका लाभ यहां के नागरिकों को मिलना चाहिए। हमें इसे एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं जहां सभी के लिए पर्याप्त अवसर हों।

लाखेरी में बनने वाले इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक होगा। इस कॉम्प्लेक्स में कई खेल खेले जा सकेंगे। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए यहां 4 बैडमिंटन कोर्ट, 3 वॉलीबॉल कोर्ट, एक बॉस्केटबॉल कोर्ट व खो-खो कोर्ट तथा टेबल टेनिस खेलने की व्यवस्था होगी। पुरूष तथा महिला खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम व सुविधाएं होंगी। इस कॉम्प्लेक्स में 500 दर्शक भी आ सकेंगे। इसको पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।

■ **खेलो इंडिया के तहत 4.5 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स**

शिलान्यास समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र शर्मा, रामबाबू शर्मा, बाबूलाल बैरवा, महावीर पारेता, शिव शंकर शर्मा, प्रदीप सोनी, मोहन राठौर, महेंद्र सैनी, अविनाश, गजानन योगी, योगेश वर्मा, महावीर गोचर, ललित महावर, राजू सैनी, दिनेश वर्मा ,रवी किरण, जितेंद्र जैन, निशा जैन, राकेश सैनी, राम गोपाल गुर्जर, जगदीश मीणा, बाबूलाल सैनी, जगदीश पारेता, लक्ष्मी सिंह हाड़ा, योगेंद्र श्रृंगी, मुकेश जिंदल, नीलेश तिवारी, राम सिंह चैधरी, छगन सिंह सोलंकी, माखीदा सरपंच रमेश पालीवाल, प्रधान वीरेंद्र सिंह हाड़ा उपस्थित रहे।

पत्थरबाजी मामले में तीन गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। सायरा थाना पुलिस ने शौभावास नांदेशमा में बिन्दोली निकाले जाने पर पत्थरबाजी करने के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार 20 फरवरी रात में शौभावास नान्देशमा में रतनलालपुत्र कालुलाल ढोली निवासी शौभावास नांन्देशमा के पुत्र सुभाष की बिन्दोली निकालने के लिए लिए घर से निकले इसी दौरान पीछे से मोहनसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत निवासी शौभावास बाइक लेकर महिलाओं के बीच निकलते हुए गाली गलोज कर बिन्दोली नहीं निकालने की हिदायत देकर जा रहा था। बिन्दोली निकालने के दौरान घर के बाहर बिन्दोली पहुंचने पर प्रेम पुत्र चम्पालाल को पकड़ कर मारपीट की तथा मोहनसिंह के लड़के पवनसिंह व विरेन्द्रसिह, मनीष आए तथा छत से मामनसिंह के मकान से पत्थरबाजी शुरू हो गई। जिससे भगदड़ मच गई।

पत्थरबाजी से कई लोगों को चोटे आई। अशोक कुमार पुत्र नानालाल निवासी झालों का कलवाना की कार के कांच फोड़ दिए। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक भूपेन्द्र कुमार , सायरा थानाधिकारी नाथूसिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंच कर पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर लिया। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर मौके पर मौजूद पुलिस दल ने इस मामले में मोहनसिंह, महेन्द्र सिंह व श्रवण सिंह निवासी विरमपुरा भंदर पुलिस थानानाणा पाली को गिरफ्तार किया। मौके पर पुलिस बल तैनात है।